



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

5 कार्तिक 1943 (श०)

(सं० पटना 877) पटना, बुधवार, 27 अक्टूबर 2021

IE 2@vkjki&01&33@2014&9507@lk0ç0

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

26 अगस्त 2021

श्री अब्दुल हामिद (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 687/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई, नालंदा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 181002 दिनांक 20.03.2014 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री हामिद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप निम्नलिखित हैं :-

श्री अब्दुल हामिद द्वारा वित्तीय वर्ष 2004-05 एवं 2005-06 में कुल 14 (चौदह) ऐसे परिवारों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी, जिनका नाम बी०पी०एल० सूची में दर्ज नहीं था। अन्य व्यक्तियों के बी०पी०एल० क्रमांक पर गैर बी०पी०एल० परिवारों को इंदिरा आवास की स्वीकृति दी गयी, जिसके कारण कुल 14 (चौदह) बी०पी०एल० परिवार के लोग इंदिरा आवास से वंचित रह गये। साथ ही सरकार को कुल 329400/- रु० की आर्थिक क्षति उठानी पड़ी।

विभागीय पत्रांक 14193 दिनांक 15.10.2014 द्वारा श्री हामिद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों पर स्पष्टीकरण किया गया। श्री हामिद द्वारा उक्त के आलोक में अपने पत्रांक 448 दिनांक 28.05.2015 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें श्री हामिद का कहना है कि "तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई श्री रमेश सिंह की आकस्मिक मृत्यु के पश्चात वे मात्र लगभग 03 माह (09.10.2004 से 12.01.2005) तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई के प्रभार में थे। संदर्भित उक्त इंदिरा आवास का आवंटन मेरे द्वारा नहीं किया गया है, बल्कि उसका आवंटन तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्री रमेश सिंह के द्वारा किया गया था तथा उनके द्वारा प्रथम किस्त की राशि निर्गत की गई थी इसके आवंटन में मेरी कोई भूमिका नहीं है। योजना संख्या-48/04-05, 49/04-05, 61/04-05, 20/04-05, 73/04-05, 14/04-05, 152/04-05 में योजना की स्वीकृति तथा प्रथम किस्त का भुगतान तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा ही किया गया था और इन कुल सात योजनाओं में द्वितीय किस्त की राशि मेरे द्वारा निर्गत की गई है। द्वितीय किस्त की राशि निर्गत करते समय प्रथम किस्त की राशि लाभुकों द्वारा योजना में खर्च की गई है अथवा नहीं के बिन्दु पर जांच की जाती है तथा उसी के आधार पर द्वितीय किस्त की राशि निर्गत की जाती है। प्रथम किस्त की राशि के अनुकूल निर्माण सम्पन्न होने के बाद ही जन सेवक/पंचायत सेवक एवं पर्यवेक्षक तथा कनीय अभियंता से प्रतिवेदन प्राप्त होने के बाद ही मेरे द्वारा द्वितीय किस्त की स्वीकृति दी गई है, जो किसी भी दृष्टि से अनुचित नहीं है। उक्त सातों योजनाओं में लाभार्थियों का नाम BPL सूची में दर्ज है।

उनके द्वारा किसी को भी इंदिरा आवास आवंटित नहीं किया गया है तब गैर BPL को इंदिरा आवास आवंटित करने का आरोप किसी भी दृष्टि से सही नहीं है। जिन 16 गैर BPL लाभुकों को इंदिरा आवास आवंटन करने का आरोप लगाया गया है, वह सत्य से परे है, इन 16 लाभुकों में से मात्र 07 लाभुकों को मेरे द्वारा मात्र द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया है, और ये सभी लाभुक BPL श्रेणी के हैं। शेष 09 लाभुकों को उनके द्वारा कोई भुगतान नहीं किया गया है।”

श्री हामिद के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत पाया गया कि श्री हामिद के विरुद्ध बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति के समक्ष विचाराधीन सी०ए०जी० की कंडिका-4.1.10 के अनुपालन वर्ष 2007-10 से संबंधित आरोप है। श्री हामिद द्वारा आरोपों के संबंध में दिये गये स्पष्टीकरण से स्पष्ट है कि उनके कार्य प्रणाली में पर्यवेक्षण का अभाव है। इनके द्वारा 16 लाभुकों में से 07 लाभुकों को द्वितीय किस्त का भुगतान किया गया, किन्तु 09 गैर BPL लाभुकों को जिन्हें पूर्ववर्ती प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा प्रथम किस्त की राशि पूर्व में दी गयी, उनके विरुद्ध जानकारी होने के बाद श्री हामिद द्वारा राशि वसूलने हेतु कोई प्रयास नहीं किया गया। यह जानबूझकर मामला दबाने जैसा कृत्य है। श्री हामिद के इस कृत्य के कारण सरकार को आर्थिक क्षति हुई है। श्री हामिद का यह कृत्य बिहार आचार नियमावली 1965 के नियम-3(1) के संगत प्रावधानों के प्रतिकूल है।

उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त श्री हामिद के स्पष्टीकरण को अस्वीकार करते हुए इनके विरुद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-19(1) के प्रावधान के तहत नियम-14 में अंकित (i) निन्दन (आरोप वर्ष 2005-06), (ii) असंचयात्मक प्रभाव से तीन वेतनवृद्धि पर रोक का दंड अधिरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री अब्दुल हामिद (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 687/11, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, रहुई, नालंदा को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के संगत प्रावधानों के तहत निम्नांकित दंड अधिरोपित एवं संसूचित किया जाता है :-

(i) फुलुनू ५व्कज्कि ०"क 2005&06

(ii) vlp;kRed çHkko l rhu oruof) ij jkdA

vkni'k %& vkni'k fn;k tkrk g fd bl ldyi dh ifr fcgkj jkti= d vxy; vlk/kkj.k vid e; çdkf'kr fd;k tk; rFkk bl dh ifr lHkh lcf/krk dk Hkt nh tk;A

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रचना पाटिल,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 877-571+10-डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>